।। ओ३म् ।। 84

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार–249404

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deeemed to be University), Haridwar-249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.05.2026 की कार्यवाही

दिनांक : 08.05.2026
समय : प्रातः 11.30 बजे
स्थान : भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नईदिल्ली।

उपस्थिति :–

1. प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा, कुलपति / सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रायोजित संस्था के प्रतिनिधि / सदस्य
3. श्री विवेक कौशिक, शिक्षा मंत्रालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सदस्य / सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि / सदस्य
5. डा0 एस0 एम0 शर्मा, प्रबन्ध मण्डल के सदस्य / सदस्य
6. प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार, कुलसचिव / विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो0 वी0 के0 सिंह, वित्ताधिकारी / सचिव, वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदया की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव संख्या–01 : वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 07.03.2026 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 07.03.2026 को हुई थी जिसमें की गई वार्ता के अनुसार कार्यवाही से अवगत कराने के सम्बन्ध में Action Taken Report बनाये जाने के लिये कहा गया था। अतः इस सन्दर्भ में निम्न तालिका के अनुसार की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है :–

दिनांक 07.03.2026 में आहूत हुई वित्त समिति की बैठक में की गई कार्यवाही रिपोर्ट

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	बैठक में लिये गये निर्णय	की गई कार्यवाही (Action Taken Report)	Status	Remark
प्रस्ताव संख्या–01	समविश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी तथा पेंशनरों की मृत्यु हो जाने पर शोक।	शोक व्यक्त किया गया	–	—	—
प्रस्ताव संख्या–02	वित्त समिति में नये सदस्य एवं नये वित्ताधिकारी का स्वागत।	स्वागत किया गया।	–	—	—
प्रस्ताव संख्या–03	वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 12.07.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	(1) उपरोक्त प्रस्तावों के कियान्वयन के सन्दर्भ में सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा फिक्स चिकित्सा भत्ता रू 30,000 / – से	1.समविश्वविद्यालय के लगभग 64 प्रतिशत (123 / 193) कर्मचारियों से शपथ पत्र प्राप्त हो गये है। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक–01)	✓	

15/5/25

	1. कर्मचारियों को फिक्स चिकित्सा भत्ता रू 30,000/–से बढाकर 40,000/– किये जाने के सम्बन्ध में। 2. समविश्वविद्यालय के पी0एफ0 फन्ड को नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	बढाकर 40,000/– किये जाने के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कर्मचारियों से एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दिनांक 01.04.2026 से पूर्व लिया जायेगा। (2) पी.एन.बी. बैंक में जमा पी0एफ0 राशि के ब्याज के सन्दर्भ में निर्देशित किया गया कि इस सन्दर्भ में कानूनी कार्यवाही की जाये तथा एक लिखित कानूनी नोटिस पंजाब नेशनल बैंक गुरूकुल कांगडी के उच्चाधिकारियों को दिया जाये जिसमें 5 दिन का समय दे दिया जाये। इस सम्बन्ध में बैंक को पत्र भेज दिया गया है।	2. इस सन्दर्भ में बैंक को पत्र भेजा जा चुका है तथा साथ ही साथ डा0 अजयवीर सिंह पुण्डीर (वरिष्ठ अधिवक्ता) को कानूनी कार्यवाही के लिये पत्र दिनांक 15.04.2026 एवं 13.05.2026 को भेज दिया गया है। (संलग्नक–02)	In Proces
प्रस्ताव संख्या–04	समविश्वविद्यालय के कन्या गुरूकुल, हरिद्वार में छात्राओं के लिये बी.टैक. पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें छात्राओ के लिये क्लासरूम तथा एल शेप में कक्षाओं को बनाये जाने का प्रस्ताव।	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है अतः उपरोक्त दोनो कार्यो को प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः सभी सदस्यों की सहमति द्वारा कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर इन कार्यो को कराया जा सकता है।	1.आचार्य रामदेव भवन के प्रथम तल पर अनुरक्षण वर्ग से	✓
			2.एल शेप भवन को स्व–वित्त पोषित वर्ग से निर्माण कार्य कराये जाने पर दिनांक 07.05.2026 को कार्यकारी संस्था (उ0प्र0रा0नि0नि0) से अनुबन्ध किया गया है।	✓
प्रस्ताव संख्या–05	समविश्वविद्यालय में तीन अधूरे पडे भवनो के निर्माण कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है अतः उपरोक्त तीनो कार्यो को प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर ही उपरोक्त कार्यो को कराया जा सकता है।	1. कन्या गुरूकुल परिसर देहरादून के छात्रावास निर्माण कार्य के लिये कार्यकारी संस्था (उ0प्र0रा0नि0नि0) को कार्यादेश (113.63 लाख) निर्गत करने के पश्चात दिनांक 07.05. 2026 को अनुबन्ध कर लिया गया है। (संलग्नक–03)	✓
			2. यूसिक भवन में सिविल कार्य व विद्युत कार्य का इस्टीमेट (रू 151. 86 लाख) दिनांक 14.05.2026 को प्राप्त हो चुका है।	✓
			3. एम.सी.ए भवन का विस्तृत आगणन बनाया जा रहा है।	In Proces
प्रस्ताव संख्या–06	इंजीनियरिंग कालेज क एकेडमिक ब्लॉक के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर उ0प्र0	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध है तथा वित्त कार्यालय द्वारा बिल की जांच की जा चुकी है। अतः इस	इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में भुगतान कर दिया गया है। (संलग्नक–04)	✓

	राजकीयनिर्माण निगत लि0 को रू 61,26,314.00 को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	बिल का भुगतान किया जाना है। वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर बिल का भुगतान किया जाना चाहिये।			
प्रस्ताव संख्या–07	ओ.बी.सी. अनुदान से सम्बन्धित भवनों की पत्रावलियों में मान्या कुलपति जी की स्वीकृति हेतु हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में मान्या कुलपति महोदया द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत कराया गया। वित्त समिति के सभी सदस्यो ने अवगत कराया कि यदि पूर्व कुलपति द्वारा यह हस्ताक्षर नही हुए है तो वर्तमान कुलपति महोदया द्वारा हस्ताक्षर किये जाने में कोई आपत्ति नही है जिससे कि पत्रावली की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। इस सन्दर्भ में मान्या कुलपति महोदया द्वारा सूचित किया गया कि सभी (10 फाईल) के लिये गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।	मान्या कुलपति महोदया द्वारा इन पत्रावलियों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।	✓	
प्रस्ताव संख्या–08	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,देहरादून द्वारा भवनों के कार्यो को पूर्ण किये जाने पर रू 18,20,829.00 का शेष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है अतः उपरोक्त कार्यो के बिलों का भुगतान किया जा सकता है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर ही यह भुगतान किया जा सकता है।	कुल प्रारम्भिक आगणन रू 3,08,80,400 था जिसके सापेक्ष रू 1,75,34,359.00 का फाईनल बिल प्राप्त हुआ था। जिसका समवश्विविद्यालय द्वारा अब तक रू 1,57,13,531.00 रू का भुगतान किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में 18,20,829.00 रू का भुगतान किया जाना शेष है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक–05)	✓	
प्रस्ताव संख्या–09	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा चार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है लेकिन उनके बिल अभी प्राप्त नही है। अतः इन भवनों पर होने वाले व्यय रू	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है। अतः उपरोक्त चारों कार्यो का बिल प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकता है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा	चारो भवनों में से 1. इतिहास विभाग के भवन का बिल रू 3.65 लाख का भुगतान कर दिया गया है (संलग्नक–06)।	✓	
			2. पार्किंग कार्य के मध्ये कुल बिल राशि रू 44.27 लाख में से 36.89 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा रू 7.38 लाख का भुगतान शेष है।	Bil Received	

	74.00 लाख के व्यय की स्वीकृति हेतु।	गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त बिलों का भुगतान किया जाना चाहिये।	3. शेष दो भवनों कम्प्यूटर केन्द्र में टायलेट एवं आर्टस विभाग की बिल्डिंग के बिल अभी प्राप्त नही हुए है।	Bil Pending
प्रस्ताव संख्या–10	इंजीनियरिंग कालेज में निर्मित छात्रावास के प्रथम तल पर छात्रावास हेतु कमरो के निर्माण के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध है तथा छात्रावास के प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य कराया जाना उचित है ताकि समविश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो सके। इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि समविश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति द्वारा भी यह कार्य कराया जाना स्वीकृत कर लिया गया है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को कराया जा सकता है।	नव–निर्मित भवन निर्माण समिति में इस विषय को रखा जायेगा। इससे पूर्व दिनांक 26.02.2026 को हुई भवन निर्माण समिति में इस विषय को पारित किया गया है।	✓
प्रस्ताव संख्या–11	समविश्वविद्यालय में नये कोर्स खोलने पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में मान्या कुलपति महोदया तथा वित्ताधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नये पाठ्यक्रम खोलने पर आगामी वर्षो में आय में वृद्धि होगी। नये पाठ्यक्रम चलाये जाने पर शिक्षा पटल की बैठक में 15 कोर्स की सहमति हुई है। इस सन्दर्भ में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को चलाये जाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय को पाठ्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव भेजकर सहमति लिया जाना आवश्यक होगा। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों ने इन पाठ्यक्रमों को चलाये जाने के लिये स्व–वित्त पोषित योजना	वित्त कार्यालय को 15 पाठ्यक्रम में से निम्नांकित नये पाठ्क्रम खोले जाने की पत्रावली प्राप्त हुई है। (संलग्नक–07) 1. M.sc.- Paharamaceutical Chemistry 2. M.Sc.- Food Technology 3. M.Sc. Bio medical Sc. 4. M.Sc.- Forensic Sc. & Criminology 5. B. Com (Honrs)	✓

		के अन्तर्गत ही धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता दिये जाने की स्वीकृति दी गई।			
प्रस्ताव संख्या–12	लेखा पुस्तकों के वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आडिट के सम्बन्ध में।	वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आडिट के सन्दर्भ में वित्त समिति के मान्य सदस्य डा0 एस0 एम0 शर्मा जी द्वारा अवगत कराया गया कि आडिट टीम ने आडिट रिपोर्ट के अन्तर्गत कई आपत्तियां की है जिसमें विशेषकर आंकडो को परिवर्तित करना, शेड्यूल में परिवर्तन करना, आन्तरिक आडिट न होना, बैलेंस सीट को दो भागों में बनाना तथा कर्मचारियों के दिये गये आगाऊ को समायोजित न करना आदि है। अतः इन आपत्तियों को दूर करना आवश्यक है तथा इसका उत्तर समय से दिया जाना अपेक्षित है। मान्या कुलपति महोदया तथा वित्तधिकारी महोदय ने आदेशित किया कि इन आपत्तियो का जवाब वित्त कार्यालय 15 दिन के अन्दर बनाकर आडिट कार्यालय को भेजा जाय।	वित्त वर्ष 2025–2026 के वार्षिक लेखा पुस्तक में एस.ए.आर. की आडिट आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 1. आंकड़ों का परिवर्तन	✓	
			2. शैड्यूल में परिवर्तन	✓	
			3. आन्तरिक ऑडिट का न होना	To be Discuss	
			4. बैलेंसशीट को दो भागों में बनाया जाना	✓	
			5. कर्मचारियों को दिये गये अगाऊ को समायोजित न करने के सम्बन्ध में	✓	
प्रस्ताव संख्या–13	समविश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन दिये जाने हेतु कॉरपस फन्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कभी–कभी यू.जी.सी. से अनुदान मिलने में देरी हो जाती है अतः वेतन एवं पेंशन को समय से दिये जाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अतःइस सन्दर्भ पांच करोड का कारपस फन्ड बनाया जाना उचित होगा ताकि समय पडने पर कम से कम आधी सैलरी समय से दी जा सके। इस सन्दर्भ में शिक्षा मंत्रालयके प्रतिनिधि श्री विवेक कौशिक जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि कारपस फन्ड आन्तरिक प्राप्तियों से बनाया जाता है तो इसकी स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय से तथा यदि कारपस फन्ड सरकारी अनुदान से बनाया जाता है तो इसकी स्वीकृति	कारपस फन्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु पत्र शिक्षा मंत्रालय को दिनांक 05.05.2026 में भेज दिया गया है। (संलग्नक–08)	Pending	

		वित्त मंत्रालय से ली जानी आवश्यक है। अतः इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि कारपस फन्ड को आन्तरिक प्राप्तियों से बनाया जाये तथा इसकी स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय से लें ली जाये।			
प्रस्ताव संख्या–14	समविश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, कोर्डिनेटर एवं कुलसचिव की वित्तीय शक्तियों को बढाये जाने के सम्बन्ध में।	उपरोक्त वित्तीय शक्तियों को निम्नानुसार बढाये जाने का प्रस्ताव है :– विभागाध्यक्ष – रू 10,000/– कोर्डिनेटर/संकायाध्यक्ष रू 15,000/– सम्पदा विभाग – रू 20,000/– कुलसचिव – रू 25,000/– उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा सहर्ष स्वीकृत किया गया।	इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुलसचिव कार्यालय द्वारा दिनांक 08.04.2026 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। (संलग्नक–09)	✓	
प्रस्ताव संख्या–15	समविश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त एवं सेवाकाल के दौरान देहावसान स्थायी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता के रूप में मदद करने के सम्बन्ध में।	उपरोक्त प्रस्ताव के क्रमांक–01 के सम्बन्ध में रू 3000/– को स्वीकृत किया गया तथा क्रमांक–02 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री विवेक कौशिक जी द्वारा बताया गया कि रू 20,000/– को दिये जाने के सम्बन्ध में स्व–वित्त पोषित वर्ग से एक कर्मचारी कल्याण कोष का निर्माण करने पर ही इस धनराशि को दिया जाना चाहिये। अतः निर्णय लिया गया कि स्व–वित्त पोषित वर्ग से कर्मचारी कल्याण कोष का निर्माण करने पर ही यह राशि कल्याण कोष के धन से ही निर्गत की जाये।	कर्मचारी कल्याण कोष के निर्माण हेतु पत्रावली स्वीकृत कर ली गई है। वित्त वर्ष 2026–2027 में इस कोष को बना लिया जायेगा जिसमें फिक्स कर्मचारी जो कि पांच वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके है उनको भी लाभ प्रदान किया जायेगा। (संलग्नक–10)	✓	
प्रस्ताव संख्या–16	समविश्वविद्यालय की शनि मन्दिर के पास खाली पडी भूमि पर अतिथि गृह/छात्राओं के छात्रावास बनाये जाने पर विचार।	उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी ने कहा कि इस भूमि पर जो भी निर्माण कार्य कराया जाये उसका पूरा विवरण तैयार कर लिया जाये तथा यह भी ध्यान में रखा जाये कि निर्माण कार्य से समविश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो। इस सन्दर्भ में डा0 श्वेतांक, उपकुलसचिव द्वारा विस्तार से इस प्रस्ताव को बताया गया। अतः वित्त समिति के सदस्यों ने अवगत	नव–निर्मित भवन निर्माण समिति में इस विषय को रखा जाना है।	Pending	

		कराया कि इस पूरे प्रस्ताव को विस्तार से बनाकर वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजा जाये ताकि इस भूमि का उपयोग समविश्वविद्यालय कर सकें।			
प्रस्ताव संख्या–17 17(1)	अन्य प्रस्ताव	प्रो0 हेमलता के., सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सेवानिवृत्ति लाभों को दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों ने गहन विचार–विमर्श करके बताया कि यदि सेवानिवृत्ति लाभों से धन की रिकवरी करनी है तो ग्रेच्युटी अथवा पेंशन कम्यूटेशन की एक राशि को रोका जा सकता है। कर्मचारी की पेंशन राशि को तुरन्त ही जारी करना आवश्यक है ताकि उसके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पडे। अतः उपरोक्त निर्णय को वित्त समिति द्वारा स्वीकार किया गया।	प्रो0 हेमलता के. को पेंशन जारी कर दी गई है। (संलग्नक–11)	✓	
17(2)	अन्य प्रस्ताव	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में 13 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान तथा वेतन वृद्धि को दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट तथा गठित समिति के अध्यक्ष, संयोजक तथा सदस्यों से गहन विचार करने के उपरान्त श्री विनय आर्य जी ने कहा कि कार्य के लिये इस कमेटी के अलावा यदि कोई और अन्य कमेटी इस कार्य के लिये बनी हो तो अवगत कराया जाये। इस सम्बन्ध में मान्या कुलपति महोदया ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में अन्य कोई कमेटी नही बनी है। वित्त समिति के सभी सदस्यों ने कहा कि आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण विवरण के साथ रखा जाये।	समविश्वविद्यालय में होने वाली आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाना है।	✓	
17(3)	अन्य प्रस्ताव	समविश्वविद्यालय में बनाई गई एफ.डी. का ब्याज समविश्वविद्यालय के विकास कार्यो में उपयोग किये जाने	एफ.डी. के ब्याज को समविश्वविद्यालय के विकास कार्यो में लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	✓	

		पर वित्त समिति के कहा कि इस निधि का उपयोग केवल विकास कार्यो में ही किये जाने पर सहमति दी गई।			
17(4)	अन्य प्रस्ताव	प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त प्रोफेसर) को समयपूर्व सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मान्या कुलपति महोदया द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण से वित्त समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया तथा वित्त समिति के सदस्यों ने कहा कि यह प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की बैठक से सम्बन्धित है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों ने कहा कि इस प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाये।	समविश्वविद्यालय में होने वाली आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाना है।	✓	

1. उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये तथा जिम्मेदारी के साथ ही इस कार्य को पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
2. पी.एन.बी. बैंक में जमा पी.एफ. राशि पर ब्याज प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया तथा श्री एस0एम0 शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
3. भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण समिति में कुलाधिपति का नामिनी भी अवश्य होना चाहिये। तथा सभी निर्माण सम्बन्धी कार्य भवन निर्माण समिति के माध्यम से किये जाने चाहिये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एग्रीमेंट करने में वैध व्यक्ति के हस्ताक्षर आवश्यक है।

प्रस्ताव संख्या–02 : समविश्वविद्यालय में मान्या कुलपति महोदया हेतु नई कार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री विवेक जी ने अवगत कराया कि वर्तमान में जो कार मान्या कुलपति महोदया के लिये है उसे अभी 10 वर्ष हो गये है तथा नये नियमों के अनुसार नई कार को क्रय करने पर पुरानी कार का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि यदि दिल्ली आना हो तो टैक्सी का प्रयोग किया जाना चाहिये। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 01.09.2022 के अनुसार 6 लाख तक की एन.डी.पी. वैल्यू पर ही नई कार क्रय की जा सकती है। कार क्रय किये जाने पर काफी चर्चा के उपरान्त सभी सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि नई कार स्व–वित्तपोषित वर्ग के धन से क्रय कर ली जाये।

प्रस्ताव संख्या–03 : समविश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को गेंहू एडवांस के रूप में रू 40,000.00 की राशि अगाऊ के रूप में दिये जाने पर विचार।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कर्मचारी को गेंहू क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम धन दिया जाता था जिसे कर्मचारी के वेतन से कटौती

करने पर इस धन की वसूली कर ली जाती थी। वर्तमान समय में इस प्रकार से गेंहू कय किये जाने के सम्बन्ण में कोई नियम भी नही है अतः अग्रिम धन दिया जाना उचित नही है। अतः सभी सदस्यो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया।

प्रस्ताव संख्या–04 : वित्तीय वर्ष 2026–2027 में आन्तरिक प्राप्तियों से अनुरक्षण वर्ग में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।

अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से प्राप्त होने वाले धन को विभिन्न संकायो एवं विभागों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर आगामी वित्त समिति में गत दो वर्षो के सम्पूर्ण विवरण के साथ इस प्रस्ताव को रखा जाये तथा आगामी वित्त समिति ही इस पर निर्णय ले।

प्रस्ताव संख्या–05 : वित्तीय वर्ष 2026–2027 में आन्तरिक प्राप्तियों से स्व–वित्त पोषित वर्ग में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।

स्व–वित्तपोषित वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से प्राप्त होने वाले धन को विभिन्न संकायो एवं विभागों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर आगामी वित्त समिति में गत दो वर्षो के सम्पूर्ण विवरण के साथ इस प्रस्ताव को रखा जाये तथा आगामी वित्त समिति ही इस पर निर्णय ले।

स्ताव संख्या–06 : समविश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एव्म प्लेसमेट अफिसर, प्रो0 इन्चार्ज –सीनेट हाल, मुख्य हास्टल वार्डन, परीक्षा नियंत्रक की वित्तीय शक्तियों को दिये जाने के सन्दर्भ में।

1. प्रोफेसर इंचार्ज/ट्रेनिग एव्म प्लेसमेट अफिसर – 10,000
2. प्रो0 इन्चार्ज –सीनेट हाल – 10,000
3. मुख्य हॉस्टल वार्डन – 15,000
4. परीक्षा नियंत्रक – 15,000
5. मुख्य प्रोजेक्ट गणवेषक – 10,000

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा पूछा गया कि इन्हें इस प्रकार की वित्तीय शक्तियां क्यो दी जा रही है। सम्पूर्ण चर्चा के उपरान्त कहा गया कि आगामी वित्त समिति में इस विषय पर विचार किया जाना उचित होगा।

शान्तिपाठ के साथ बैठक समाप्त की गई।

15/5/25

(प्रो0 श्री.के. सिंह)
वित्ताधिकारी एवं सचिव, वित्त समिति